न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारेलाल सौठवाल (आर०ए०एस०)
प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

प्रार्थना पत्र संख्या– 03 / 15 बउनवान तारीख रजू 28.07.2021

1. राजकुमार पुत्र फागुनमल।
2. तुलसीदास पुत्र फागुनमल।
3. प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल।
4. रूकमणी देवी पत्नी स्व.लेखराज।
5. मीना देवी पत्नी स्व.अशोक पुत्रवधु स्व.लेखराज।
6. प्रिंस नाबालिग जरिये माता श्रीमति मीना देवी।
7. ज्योति पुत्री स्व.अशोक।
8. भारती पुत्री स्व.अशोक।
9. ममता पुत्री स्व.अशोक।
10. कमला देवी पत्नी स्व.शंकरदास।
11. जितेन्द्र पुत्र स्व.शंकरदास।
12. विनोद पुत्री स्व.शंकरदास।
13. मुकेश पुत्र स्व.शंकरदास निवासियान कस्बा डहरा तहसील व जिला अलवर।

––प्ार्थीगण

बनाम

1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

––अप्रार्थीगण

1. अमीन खां पुत्र धुन्धी उर्फ लाडखां जाति मेव निवासी ग्राम कस्बा डहरा तहसील व जिला अलवर।

––तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 17.01.2022

पत्रवली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कस्बाडहरा में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 0.05 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 76 मिन रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं 178 रकबा 1.00 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 76 मिन 1 बीघा शामिल 177 से कायम किये गये है तथा उक्त खसरा नम्बर 76 के सम्वत 2020 में साबिक नम्बर 76 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा वाकेग्राम कडूकी से कायम किये गये है। साबिक आराजी का सहखातेदार पूर्व में पाहुमल पुत्र रामनदास था। जिसने अपना सालिम हिस्सा गंगाराम कर्मचन्द को विक्रय कर दिया और उक्त गंगाराम, कर्मचन्द ने अपना खरीदशुदा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

सालिम हिस्सा जरिये बयनामा तरतीबी अप्रार्थी को विक्रय कर दिया। जिसके नाम इंतकाल संख्या 219 दिनांक 04.08.1988 को ग्राम पंचायत जटियाना द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त पाहुमल का उपरोक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है तथा आज भी मौके पर तरतीबी अप्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 3 का सही व वास्तविक नाम प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल है, जो कि उपरोक्त आराजी के साबिक राजस्व रिकार्ड से पूरी तरह साबित है। उक्त गांव का बन्दोबस्त सम्वत 2051 में किया गया तथा दौराने बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल के स्थान पर प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल दर्ज कर दिया। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी नाम प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 3 का नाम प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र फ़ागुनमल एवं हाल राजस्व रिकार्ड में जो पाहुमल पुत्र रामनदास गलत इन्द्राजात को कलमजन कर सही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक हाल जमाबन्दी ग्राम कडूकी खसरा नम्बर 177 रकबा 0.05 है., 178 रकबा 1.00 है. पाहुमल पुत्र रामनदास हि. 63/32 जाति खत्री सा. देह गैर खातेदार अलोटी व प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल हि. 189/1660 जाति खत्री सा.कस्बा डहरा खातेदार राहिन हि. 189/1660 ABAG बैंक शाहपुर मु.बि.क.वगैराह दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051 के उक्त खसरा नम्बरान का साबिक खसरा नम्बर 76 मिन रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा है। नामान्तरकरण संख्या 15 वाकेग्राम कडूकी पाहुमल पुत्र रामनदास हि. 1/4 गैर खातेदार से सनद पट्टा जरिये पट्टा संख्या 46 दिनांक 06.03.1969 गंगाराम, कर्मचन्द पुत्रान घीसाराम जाति खत्री सा.अलवर खातेदार के पक्ष में दिनांक 30.03.1969 स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण से जाहिर होता है कि पाहुमल पुत्र रामनदास के 1/4 हिस्से की आराजी का सनद पटटा जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 उक्त वर्णित साबिक खसरा नम्बर 76 मिन में से 1) का गंगाराम, कर्मचन्द पुत्रान घीसाराम जाति खत्री सा.अलवर के नाम हो चुका है। नामान्तरकरण संख्या 219 ग्राम कडूकी खसरा नम्बर 76 मिन रकबा 1 बीघा कर्मचन्द, गंगाराम पुत्रान घीसाराम के द्वारा अमीनखां पुत्र धुंधी उर्फ लाडखां मेव सा.देह खातेदार के नाम दिनांक 04.08.1988 को स्वीकृत हुआ। मिसल हकीयत सम्वत 2020 वाकेग्राम कडूकी के खाता संख्या 34 में अंकित खसरा नम्बर 76 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा पाहुमल पुत्र रामनदास कौम खत्री हि. 1/4 फागुनमल पुत्र उडेरनामल हि. 3/4 कौम खत्री सा.कस्बाडहरा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

अतः हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 0.05 एवं 178 रकबा 1.00 हैक्टेयर में पाहुमल पुत्र रामनदास हि. 63/332 जाति खत्री गैर खातेदार का नाम कलमजन किया जाना प्रस्तावित है तथा मुताबिक मिसल सम्वत 2051 वाकेग्राम कडूकी खाता संख्या 4 प्रार्थी प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल दर्ज रिकार्ड है, जिसे मिसल 2051 के अनुसार हाल रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल जाति खत्री सा. कस्बाडहरा खातेदार राहिन बदस्तूर किया जाना प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 177 एवं 178 के साबिक आराजी खसरा नम्बर 76 मिन रकबा 1 बीघा नामान्तरकरण संख्या 15 द्वारा पाहुमल पुत्र रामनदास हि. 1/4 गैर खातेदार से सनद पट्टा जरिये पट्टा संख्या 46 दिनांक 06.03.1969 गंगाराम, कर्मचन्द पुत्रान घीसाराम जाति खत्री सा.अलवर खातेदार के पक्ष में दिनांक 30.03.1969 को स्वीकृत हो चुका है। जिससे उक्त आराजी में पाहुमल पुत्र रामनदास का हिस्सा शेष नहीं बचता है तथा मिसल बन्दोबस्त 2051 में प्रार्थी संख्या 03 का नाम प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल का अंकन है। जिसे हाल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक साबिक रिकार्ड, तहसीलदार अलवर की अनुशंषा के आधार पर एवं इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 01 दिनांक 04.01.2022 के क्रम में कोई उजदारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 30.03.69 अनुसार पाहुमल पुत्र रामनदास का नाम कलमजन किये जाने एवं मिसल बन्दोबस्त 2051 के अनुसरण में प्रार्थी सं. 03 का नाम प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अलवर को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दि0 17.01.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 177 एवं 178 के साबिक आराजी खसरा नम्बर 76 मिन रकबा 1 बीघा नामान्तरकरण संख्या 15 द्वारा पाहुमल पुत्र रामनदास हि. 1/4 गैर खातेदार से सनद पट्टा जरिये पट्टा संख्या 46 दिनांक 06.03.1969 गंगाराम, कर्मचन्द पुत्रान घीसाराम जाति खत्री सा.अलवर खातेदार के पक्ष में दिनांक 30.03.1969 को स्वीकृत हो चुका है। जिससे उक्त आराजी में पाहुमल पुत्र रामनदास का हिस्सा शेष नहीं बचता है तथा मिसल बन्दोबस्त 2051 में प्रार्थी संख्या 03 का नाम प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल का अंकन है। जिसे हाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक साबिक रिकार्ड, तहसीलदार अलवर की अनुशंषा के आधार पर एवं इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 01 दिनांक 04.01.2022 के क्रम में कोई उज्रदारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 30.03.69 अनुसार पाहुमल पुत्र रामनदास का नाम कलमजन किये जाने एवं मिसल बन्दोबस्त 2051 के अनुसरण में प्रार्थी सं. 03 का नाम प्रेमप्रताप पुत्र फागुनमल के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र फागुनमल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अलवर को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड-अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दि0 17.01.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर